बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:– 2/अ0प्र0–1–343/2017 816 /पटना, दिनांक :– 13.4.22

श्री रामचन्द्र राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज के विरूद्ध कार्य प्रमंडल महाराजगंज अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत T02 बंसतपुर पथ के PCC pavement भाग के सतह में Roughness एवं BT भाग के 200m लम्बाई में WBM Gr-III, WBM Gr-II एव GSB में क्रमशः 21mm, 11mm एवं 120mm की कमी पाये जाने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर संकल्प सं0–2981 दिनांक–18.12.2018 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–3330 अनु0 दिनांक–17.05.2019 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। आरोपित पदाधिकारी श्री राम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिए गए बचाव बयान में उल्लेख किया गया कि पथ का कार्य दिनांक–10.12.2016 को पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्षो के रख–रखाव की अवधि प्रारंभ हो जाने के बाद प्रथम कि0मी0 में 1000 मी0 की लम्बाई में निर्मित PCC परत में उत्पन्न Roughness को Bituminous mix से आंशिक क्षेत्र में ठीक किया गया था तथा शेष भाग में Roughness को Bituminous mix से ठीक किया जा रहा था। PCC पथ में Roughness को सुधार कार्य के लिए संवेदक को कोई पृथक भुगतान नहीं किया गया था। पथ के कार्य को कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के सघन प्रवेक्षण में कराया गया था। संयुक्त जाँच दल द्वारा मात्र एक बिन्दु WBM Gr-III, Gr-II एवं GSB परत की मापी ली गई है जो औसत मोटाई आकलित करने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इस संदर्भ में तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा निर्गत ज्ञापांक 1389 दिनांक–16.09.1994 तथा पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 2760 ई0 दिनांक–19.08.2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक कि0मी0 के तीन क्रॉस सेक्शन पर बांये, मध्य एवं दाये बिन्दु पर मोटाई मापी जाय तथा हर क्रॉस सेक्शन की औसत मोटाई का औसत निकालना है जो उस कि0मी0 के औसत मोटाई विशेष परत की होगी। स्पष्टतः संयुक्त निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन के क्रमांक 13 (XI) में मापी गई एक बिन्दु की मोटाई का प्रमाणिकता नही है।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन में Thickness measurement में WBM Gr-III, WBM Gr-II एव GSB में के मोटाई में कमी पाये जाने संबंधी तथ्य प्रतिवेदित किये जाने के आधार पर श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के जाँच की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताये जाने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–950 अनु0 दिनांक–29.07.2021 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

5. श्री राम के पत्रांक–शून्य दिनांक–30.08.2021 से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान में प्रश्नगत मामले में श्री शैलेन्द्र कुमार झा, कनीय अभियंता को समान आरोप से मुक्त किये जाने के आधार पर उनके विरूद्ध आरोपों से उन्हें मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज से विभाग को प्राप्त प्रश्नगत पथ के अद्यतन प्रतिवेदन में पथ के CC Pavement में उत्पन्न Roughness का सुधारात्मक कार्य करा दिए जाने एवं कालीकरण भाग में विशिष्टियों के अनुरूप सुधारात्मक कार्य करा दिए जाने का उल्लेख है। पथ की जॉच SQM द्वारा की गयी, जिसमें पथ के कार्य को संतोषजनक करार दिया गया।

7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज से प्रश्नगत पथ के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्री राम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रामचन्द्र राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज को आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रामचन्द्र राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज सम्प्रति सेवानिवृत को प्रतिवेदित आरोपों से मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–343/2017 817 /पटना, दिनांक :– 13·4·22

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री रामचन्द्र राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज सम्प्रति सेवानिवृत। पता–:ग्राम–मंगलपुर, पो0–बेहरी बनकटवा, थाना–सिकटा, जिला–पश्चिमी चंपारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–343/2017 817 /पटना, दिनांक :– 13·4·22

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ प्रेषित।

उप सचिव